

राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर


क्रमांक: एफ 12(150) आयो/आकाशि/2013पार्ट/ 653

दिनांक 09 मार्च, 2019

प्राचार्य,
समस्त राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषय:- राजकीय महाविद्यालयों की महाविद्यालय विकास समिति में राज्य सरकार द्वारा मनोनीत दो प्रबुद्ध नागरिकों का मनोनयन निरस्त करने के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देश है कि राजकीय महाविद्यालयों की महाविद्यालय विकास समिति में राज्य सरकार द्वारा पूर्व में मनोनीत दो प्रबुद्ध नागरिकों का मनोनयन एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है।
उक्त की स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त कर ली गयी है।



(प्रदीप कुमार बहड़),
आयुक्त कॉ.शि.एवं विशिष्ट शासन सचिव,
उच्च शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक: एफ 12(150) आयो/आकाशि/2013पार्ट/ 653

दिनांक 09 मार्च, 2019

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर।
4. संयुक्त सचिव, शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान जयपुर।
5. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग, राजस्थान जयपुर।
6. वेबसाईट प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।


09.3.19
✓ संयुक्त निदेशक (आयोजना)
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।